बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ०–03–36/2025(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

डॉ० मुकेश कुमार (कोटि क्र०–G6736/2025 एवं सेवानिवृत्ति की तिथि–31.12.2054), सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहसी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध औचक निरीक्षण के क्रम में दिनांक–09.12.2024 से 11.12.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय ज्ञापन सं0–916(9) दिनांक–11.08.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी।

2. डॉ० कुमार द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित कर अवगत कराया गया है कि उनकी माताजी की तबीयत अचानक खराब होने के उपरान्त दिनांक–09.12.2024 को ओ.पी.डी. करने के पश्चात् दिनांक–10.12.2024 एवं 11.12 2024 का आकस्मिक अवकाश का आवेदन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को भेज कर उनकी मौखिक अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय से बाहर गये।

3. विभागीय पत्रांक–254(9) दिनांक–27.02.2026 द्वारा डॉ० कुमार के समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन के आलोक मे सिविल सर्जन, मोतिहारी से मंतव्य की मॉग की गयी। सिविल सर्जन, मोतिहारी के पत्रांक–401 दिनांक–07.08.2026 द्वारा उल्लेखित किया गया कि डॉ० कुमार द्वारा समर्पित आकस्मिक अवकाश आवेदन सिविल सर्जन तथा डी.पी.एम. के संज्ञान में दिया गया था परन्तु उनके द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति नियंत्री पदाधिकारी से मिलने के उपरान्त ही डॉ० कुमार को मुख्यालय छोड़ना चाहिए था। फलतः डॉ० कुमार को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए चेतावनी देने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डॉ० मुकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहसी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के दिनांक–09.12.2024 से 11.12.2024 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए "चेतावनी" संसूचित की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ०–03–36/2025(स्वा0) ...../ पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।
26/10/2026

15

ज्ञापांकः—9/आ०—03—36/2025(स्वा0) 1597(09)/पटना, दिनांकः— 27.10.26

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी /कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, 3, 7, 8 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० मुकेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहसी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर
26/10/2026

सरकार के अवर सचिव।